
उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्र. आर-100-सीसी-23-अडतीस.- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28(1) के अनुक्रम में, अभ्युदय निजी विश्वविद्यालय, खरगोन के प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 49 तक के साधारण राजपत्र में प्रकाशन राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार अधिनियम, 2007 की धारा 35 अनुसार प्रकाशित किया जाता है. संस्था के उक्त अध्यादेश प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 49.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.



इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2024—माघ 20, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

अध्यादेश

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2024

क्र. आर-100-सीसी-23-अइतीस.— मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 29(1) के अनुक्रम में अभ्युदय निजी विश्वविद्यालय, खरगौन के पश्चातवर्ती अध्यादेश क्रमांक 50 से 79 साधारण राजपत्र में प्रकाशन राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार अधिनियम, 2007 की धारा 35 अनुसार प्रकाशित किया जाता है. संस्था के उक्त अध्यादेश प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

पश्चातवर्ती अध्यादेश क्रमांक 50 से 79

मध्यप्रदेश से राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.



भोपाल, दिनांक 6 मई 2025

क्र. 362-आर-100-सीसी-2023-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 29(1) के अनुक्रम में, अभ्युदय निजी विश्वविद्यालय, खरगोन के पश्चात्पूर्ती अध्यादेश क्रमांक 80 एवं 81 के साधारण राजपत्र में प्रकाशन राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार अधिनियम, 2007 की धारा 35 अनुसार प्रकाशित किया जाता है. संस्था के उक्त अध्यादेश प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

पश्चात्पूर्ती अध्यादेश क्रमांक 80 एवं 81 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.



इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023—माघ 5, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023

क्र. 1470-30-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव



मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन् २०२३

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २५ जनवरी, २०२३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

अनुसूची संशोधन.

का

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ४८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
४९	स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टेक्नालॉजी (आईसेक्ट), भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	स्कोप कैम्पस, एन एच-१२, चैरोपुर, (मिर्जापुर के पास) होशंगाबाद रोड, भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५०	अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगौन	भगवान राजीव लोचनराम मुलाखायाम परमार्थिक संस्था, इंदौर	कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी.	अभ्युदय विश्वविद्यालय, ग्राम-भगरिया, खंडवा रोड, खरगौन	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५१	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल	अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, बैंगलोर	कम्पनी अधिनियम, १९५६ (क्र. १ सन् १९५६) की भांश २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी.	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, वायपास रोड, कान्हासिया, तहसील-हुजूर, भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023

क्र. 1470-30-इककीस-अ (प्र.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 349 के खण्ड (3) के अनुसार, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०२२ (क्रमांक ३ सन् २०२३) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव



MADHYA PRADESH ACT
NO. 3 OF 2023

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
DWTIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2022. Short title.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 48 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:— Amendment of Schedule.

S. No.	Name of Private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"49.	Scope Global Skills University, Bhopal.	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Scope Campus NH-12, Bhaironpur (Near Misrod), Hoshangabad Road, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh
50.	Abhyuday University, Khargone	Bhagwan Rajeev Lochanram Bulakhiram Parmarthik Sanstha, Indore.	Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).	Abhyuday University, Gram-Magriya, Khandwa Road, Khargone.	Whole of Madhya Pradesh
51.	Azim Premji University, Bhopal.	Azim Premji Foundation for Development, Banglore	Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).	Azim Premji University, Bypass Road, Kanhasaiya, Tehsil-Huzur, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh."

